राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम, जयपुर 302005
दूरभाष नं0 0141–2226722, वेबसाईट www.cmar-india.org ई–मेल: dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ़2(घ)(निल.)आरएमएस(जांच)/डीएलबी/2020/499 दिनांक : 11/02/2020

आदेश

थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, जालौर के पत्र क्रमांक पीएसजे/2020/915 दिनांक 08.02.2020 द्वारा विभाग को अवगत/सूचित कराया गया है कि, नगर परिषद जालौर के पूर्व आयुक्त श्री शिकेश कांकरिया पुत्र कमल जैन हाल अधि अधिकारी नगर पालिका, भीनमाल, जगदीश खींचड पुत्र रामकिशन हाल आयुक्त नगर परिषद, जालौर, गणपतराम पुत्र राम किशन हाल कनिष्ठ सहायक कृषि भूमि नियमन शाखा, नगर परिषद, जालौर एवं विनय विश्नोई पुत्र जयकिशन हाल कनिष्ठ सहायक भूमि शाखा, नगर परिषद, जालौर के विरूद्ध एफआईआर प्रकरण संख्या 41 दिनांक 20.01.2020 धारा 457, 436 एवं 120 बी भादस एवं धारा 4 पीडीपीपी एक्ट पुलिस थाना कोतवाली जालौर में दर्ज होने एवं इन पर आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 07.02.2020 को समय 8.25 बाद अनुसंधान एवं पूछताछ के गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि आरोपीगण श्री शिकेश कांकरिया पुत्र कमल जैन हाल अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, भीनमाल, श्री जगदीश खींचड अधिशासी अधिकारी, पुत्र रामकिशन हाल आयुक्त नगर परिषद, जालौर, गणपतराम पुत्र राम किशन हाल कनिष्ठ सहायक कृषि भूमि नियमन शाखा, नगर परिषद, जालौर एवं विनय विश्नोई पुत्र जयकिशन हाल कनिष्ठ सहायक भूमि शाखा, नगर परिषद, जालौर 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, अतः राजस्थान सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चारों आरोपियों पूर्व आयुक्त श्री शिकेश कांकरिया पुत्र कमल जैन हाल अधि अधिकारी नगर पालिका, भीनमाल, श्री जगदीश खींचड पुत्र रामकिशन हाल आयुक्त नगर परिषद, जालौर, श्री गणपतराम विश्नोई पुत्र राम किशन हाल कनिष्ठ सहायक कृषि भूमि नियमन शाखा, नगर परिषद, जालौर एवं श्री विनय विश्नोई पुत्र जयकिशन हाल कनिष्ठ सहायक भूमि शाखा, नगर परिषद, जालौर को न्यायिक अभिरक्षा में लेने की दिनांक 07.02.2020 से ही तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

...2

Scanned by CamScanner

निलम्बन काल में इन सभी का मुख्यालय निदेशालय में रहेगा एवं श्री जगदीश खींचड, अधिशासी अधिकारी–चतुर्थ, हाल आयुक्त, नगरपरिषद, जालौर श्री गणपतराम एवं श्री विनय विश्नोई, दोनों हाल कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, जालौर को नियमानुसार देय निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर परिषद, जालौर से तथा श्री शिकेश कांकरिया, अधिशासी अधिकारी हाल नगर पालिका, भीनमाल को नगर पालिका, भीनमाल से देय होगा।

11/2/20

(उज्जवल राठौड)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ2(घ)(निल.)आरएमएस(जांच)/डीएलबी/2020/500-515 दिनांक :11/2/2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. जिला कलेक्टर, जालौर।
4. क्षेत्रीय उप निदेशक, जोधपुर को उनके पत्र 07.02.2020 के कम में प्रेषित है।
5. थानाकिारी, पुलिस थाना कोतवाली, जालौर को उनके पत्र दिनांक 08.02.2020 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।
6. सभापति/अध्यक्ष, नगर परिषद/पालिका, जालौर/भीनमाल।
7. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, जालौर/भीनमाल।
8. श्री शिकेश कांकरिया, निलम्बित अधिशासी अधिकारी, चतुर्थ, मार्फत अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, भीनमाल।
9. श्री जगदीश खींचड, निलम्बित आयुक्त मार्फत आयुक्त, नगर परिषद, जालौर।
10. श्री गणपतराम विश्नोई निलम्बित कनिष्ठ सहायक, मार्फत आयुक्त नगर परिषद, जालौर।
11. श्री विनय विश्नोई, निलम्बित कनिष्ठ सहायक, मार्फत आयुक्त, नगर परिषद, जालौर।
12. आरएमएस (संस्थापन)/एसएमई अनुभाग, निदेशालय।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(डा. प्रवीण कुमार)
अतिरिक्त निदेशक

Scanned by CamScanner